गाजियाबाद-महायोजना-2021
प्रस्तावित भू-प्रयोग

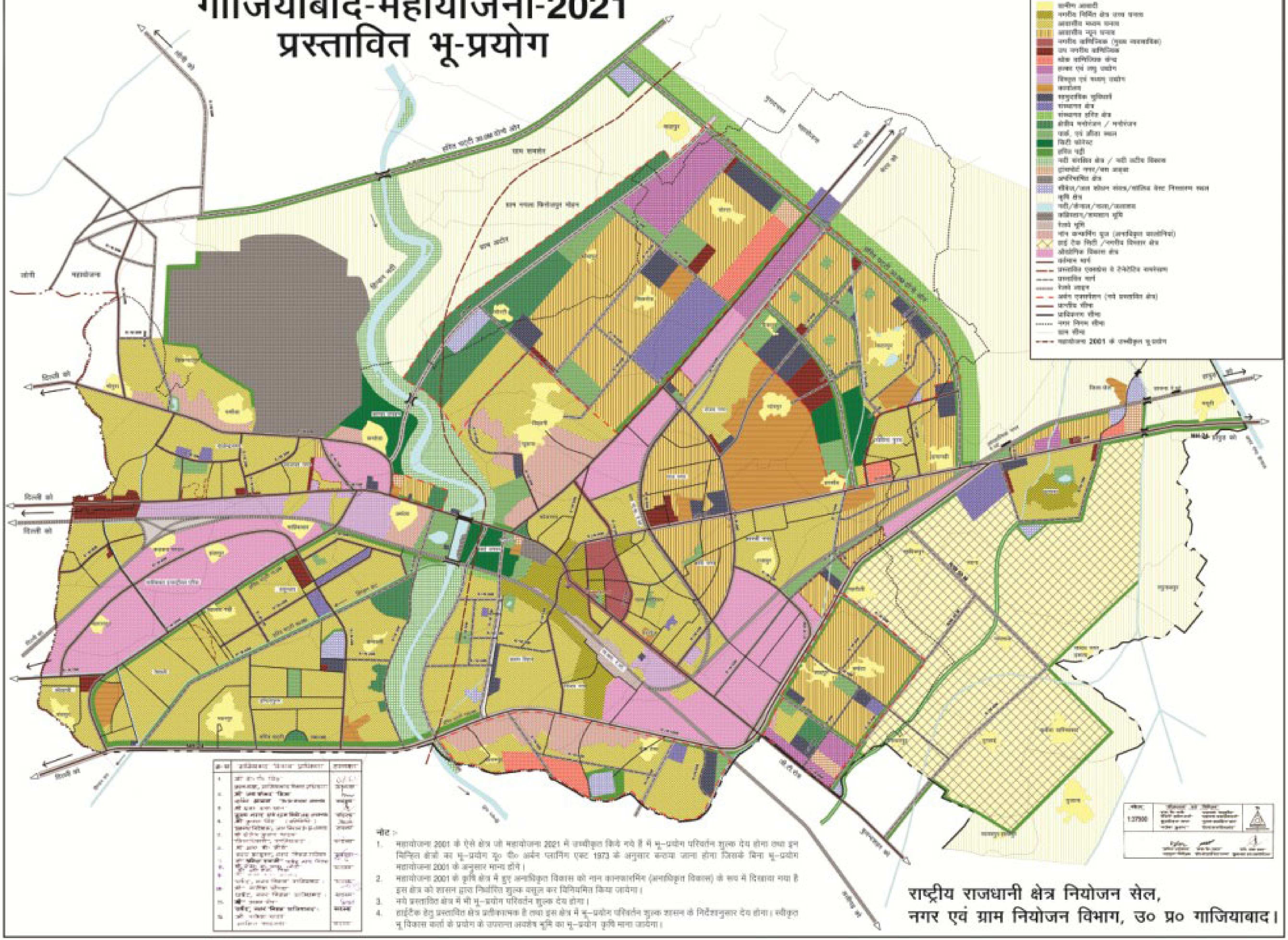

संकेतिका

- ग्रामीण आबादी
- नगरीय निर्मित क्षेत्र उच्च घनत्व
- आवासीय मध्यम घनत्व
- आवासीय न्यून घनत्व
- नगरीय वाणिज्यिक (मुख्य व्यावसायिक)
- उप नगरीय वाणिज्यिक
- थोक वाणिज्यिक केन्द्र
- हल्का एवं लघु उद्योग
- विस्तृत एवं मध्यम उद्योग
- कार्यालय
- सामुदायिक सुविधायें
- संस्थागत क्षेत्र
- संस्थागत हरित क्षेत्र
- क्षेत्रीय मनोरंजन / मनोरंजन
- पार्क एवं क्रीड़ा स्थल
- सिटी फॉरेस्ट
- हरित पट्टी
- नदी संरक्षित क्षेत्र / नदी तटीय विकास
- ट्रांसपोर्ट नगर/बस अड्डा
- अपरिभाषित क्षेत्र
- सीवेज/जल शोधन संयंत्र/ठोस वेस्ट निस्तारण स्थल
- कृषि क्षेत्र
- नदी/झील/नाला/जलाशय
- कब्रिस्तान/श्मशान भूमि
- रेलवे भूमि
- नॉन कन्फर्मिंग यूज (अनधिकृत कालोनियां)
- हाई टेक सिटी /नगरीय विकास क्षेत्र
- औद्योगिक विकास क्षेत्र
- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित एक्सप्रेस वे [illegible]
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाइन
- अर्बन एक्सटेंशन (नये प्रस्तावित क्षेत्र)
- प्रान्तीय सीमा
- प्राधिकरण सीमा
- नगर निगम सीमा
- ग्राम सीमा
- महायोजना 2001 के उच्चीकृत भू-प्रयोग

नोट :-

1. महायोजना 2001 के ऐसे क्षेत्र जो महायोजना 2021 में उच्चीकृत किये गये हैं में भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा तथा इन चिन्हित क्षेत्रों का भू-प्रयोग यू० पी० अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के अनुसार बदला जाना होगा जिसके बिना भू-प्रयोग महायोजना 2001 के अनुसार मान्य होंगे।
2. महायोजना 2001 के कृषि क्षेत्र में हुए अनाधिकृत विकास को नान कानफार्मिंग (अनाधिकृत विकास) के रूप में दिखाया गया है इस क्षेत्र को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल कर विनियमित किया जायेगा।
3. नये प्रस्तावित क्षेत्र में भी भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।
4. हाईटेक हेतु प्रस्तावित क्षेत्र प्रतीकात्मक है तथा इस क्षेत्र में भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क शासन के निर्देशानुसार देय होगा। स्वीकृत भू विकास कर्ता के प्रयोग के उपरान्त अवशेष भूमि का भू-प्रयोग कृषि माना जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन सेल,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० गाजियाबाद।